

क./बी-6/नियमन/औषधि/2471

भोपाल, दिनांक 12/08/2019

प्रति,

संयुक्त / उप संचालक,  
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड,  
आंचलिक कार्यालय,  
..... (समस्त)

विषय:- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की अनुसूची में संशोधन अधिसूचना प्रकाशन दिनांक 14 अगस्त 2019 के संबंध में।

संदर्भ:- मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 14 अगस्त 2019

विषय संदर्भ में म.प्र.कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 60 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 2(1)(क) के तहत अनुसूची के शीर्ष "सात-फल", शीर्ष "आठ-सब्जियाँ", शीर्ष "दस चटनी-मसाले तथा अन्य वस्तुएँ" अन्तर्गत निम्नानुसार परिवर्द्धन करने तथा नवीन शीर्ष "सोलह-झाई फ्रूट्स (सूखे मेवे)" की निम्नानुसार स्थापना करने के लिए ऐसे समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिये अपना प्रस्ताव प्रकाशित करती है एवं एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रस्ताव पर इस सूचना के "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशित होने की तारीख से छः सप्ताह के अवसान पर विचार किया जाएगा। सुलभ संदर्भ हेतु राजपत्र की छायाप्रति संलग्न है।

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से, ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

अतः आपके संभाग अन्तर्गत मंडियों में उपरोक्त राजपत्र दिनांक 14 अगस्त 2019 की प्रति चस्पा कर समुचित प्रचार-प्रसार किया जाकर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त होने पर विहित समयावधि में मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित करें।

मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 14 अगस्त 2019 के आंचलिक कार्यालय/मंडियों में चस्पा/प्रचार-प्रसार हेतु कृत कार्यवाही की एकजाई पालन प्रतिवेदन एक सप्ताह में मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

  
संयुक्त संचालक  
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
भोपाल

प्रतिलिपि :-

- 1 भारसाधक/सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति..... जिला.....  
(समस्त)
- 2 व्यापारी प्रतिनिधि कृषि उपज मण्डी समिति..... जिला.....  
(समस्त)

  
संयुक्त संचालक  
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
भोपाल



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 350]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 14 अगस्त 2019—श्रावण 23, शक 1941

### किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 अगस्त 2019

क्र. बी.-15-41-19-चौदह-2.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 60 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 2(1)(क) के तहत अनुसूची के शीर्ष "सात-फल", शीर्ष "आठ-सब्जियाँ", शीर्ष "दस चटनी मसाले तथा अन्य वस्तुएं" अन्तर्गत निम्नानुसार परिवर्द्धन करने तथा नवीन शीर्ष "सोलह-ड्राई फ्रूट्स (सूखे मेवे)" की निम्नानुसार स्थापना करने के लिए ऐसे समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिये अपना प्रस्ताव प्रकाशित करती है और एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रस्ताव पर इस सूचना के "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशित होने की तारीख से छः सप्ताह के अवसान होने पर विचार किया जायेगा.

अनुसूची के शीर्ष "सात-फल" में निम्नानुसार परिवर्द्धन किया जाना प्रस्तावित है :-

23. Cherry
24. Kinnow
25. Litchi
26. Mandarin
27. Peach
28. Plum
29. Strawberry

अनुसूचा के शीर्ष "आठ-सब्जियाँ" में निम्नानुसार परिवर्द्धन किया जाना प्रस्तावित है :-

37. Baby Corn
38. Broccoli
39. Capsicum or Bell Pepper (Green/Red/Yellow)
40. Coriander Leaves
41. Curry Leaves
42. Drumsticks (Fresh Drumsticks)
43. Fenugreek Leaves

44. Gherkin
45. Green Peas
46. Mustard Leaves
47. Snake Gourd/Serpent Gourd
48. Sweet Corn
49. Zucchini.

अनुसूची के शीर्ष "दस चटनी मसाले तथा अन्य वस्तुएं" में निम्नानुसार परिवर्द्धन किया जाना प्रस्तावित है :—

16. Ajwain (Carom Seeds)
17. Cinnamon Sticks

अनुसूची में नवीन शीर्ष "सोलह ड्राई फ्रूट्स (सूखे मेवे)" में निम्नानुसार स्थापित किया जाना प्रस्तावित है :—

"सोलह—ड्राई फ्रूट्स (सूखे मेवे)"

1. Almond
2. Apricot
3. Black Raisin
4. Cashewnut
5. Currant, Raisin
6. Dates, Dates Dried
7. Fig, Fig Dried
8. Pistachio
9. Walnut

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से, ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि के अवसान होने के पूर्व प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग भोपाल को प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जावेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
उपेन्द्र नाथ शर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 14 अगस्त 2019

क्र. बी.-15-41-19-चौदह-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 14 अगस्त 2019 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
उपेन्द्र नाथ शर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 14th August 2019

No. B-15-41-19-XIV-2.—In Exercise of the powers conferred by the proviso to Section 60 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhinyam, 1972 (No. 24 of the year 1973) the State Government hereby, publish its Proposal to add new items as follows under the Heading "VII-Fruits", "VIII-Vegetable" and "X-Condiments, Spices and Others" and insert new Heading "XVI-Dry Fruits" as follows in the Schedule under Section 2(1)(a) of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said proposal will be taken into consideration on the expiry of six weeks from the date of publication of this notice in the 'Madhya Pradesh Gazette'

It is proposed to add new items under the Heading "VII-Fruits" as follows :—

23. Cherry
24. Kinnow
25. Litchi

26. Mandarin
27. Peach
28. Plum
29. Strawberry

It is proposed to add new items under the Heading "VIII-Vegetables" as follows :—

37. Baby Corn
38. Broccoli
39. Capsicum or Bell Pepper (Green/Red/Yellow)
40. Coriander Leaves
41. Curry Leaves
42. Drumsticks (Fresh Drumsticks)
43. Fenugreek Leaves
44. Gherkin
45. Green Peas
46. Mustard Leaves
47. Snake Gourd/Serpent Gourd
48. Sweet Corn
49. Zucchini.

It is proposed to add new items under the Heading "X-Condiments Spices and others" as follows :—

16. Ajwain (Carom Seeds)
17. Cinnamon Sticks

It is proposed to add new Heading "XVI-Dry fruits" as follows :—

1. Almond
2. Apricot
3. Black Raisin
4. Cashewnut
5. Currant, Raisin
6. Dates, Dates Dried
7. Fig, Fig Dried
8. Pistachio
9. Walnut

Any objection or suggestion which may be received by the Principal Secretary, Government of Madhya Pradesh Farmer Welfare & Agriculture Development Department, Bhopal from any person with respect to the said draft before the expiry of period specified above will be considered by the State Government.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

UPENDRA NATH SHARMA, Dy. Secy.